



## प्रेस नोट

### सराहनीय कार्य, झाँसी

दिनांक- 29.04.2025

- ❖ जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु की जा रही कड़ी कार्यवाही
- ❖ एनआई एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में केस नं० 25995/23 धारा 138 एनआई एक्ट थाना बबीना जनपद झाँसी से सम्बन्धित वारण्टी संजीव कुमार पुत्र गजराज सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ईसाई चौकी खैलार थाना बबीना जनपद झाँसी के विरुद्ध मा० न्यायालय एसीजे (जेडी)-1, झाँसी को द्वारा जारी एनबीडब्लू का अनुपालन कराते हुये थाना बबीना पुलिस द्वारा वारण्टी संजीव कुमार उपरोक्त को आज दिनांक 29.04.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त/गुमशुदा का विवरण –

1. संजीव कुमार पुत्र गजराज सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ईसाई चौकी खैलार थाना बबीना जनपद झाँसी

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री दिनेश कुमार गिरि थाना बबीना जनपद झाँसी।
2. का० 1896 प्रवीन कुमार थाना बबीना जनपद झाँसी।
3. का० 1573 लवकुश पाण्डेय थाना बबीना जनपद झाँसी।